F.N. K-1101/08/2025/LBSHSTC/0340

Lal Bahadur Shastri Health Sciences and Technical Council

(Formerly: Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council)

Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council

Member: National Allied and Healthcare Professional Association

Ph: 0121-4349311

Dated: 15/12/2025

Very Important

To,

All Principals / Heads / Directors of Affiliated Colleges, Institutions under the jurisdiction of Lal Bahadur Shastri Health Sciences & Technical Council

Subject: Compliance of Supreme Court of India Order dated 25 July 2025 passed in *Criminal Appeal No. 3177/2025 (Sukdeb Saha v. State of Andhra Pradesh & Others)* regarding mandatory guidelines for Student Mental Health, Well-Being and Suicide Prevention in all affiliated institutions.

In pursuance of the judgment and binding directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated **25 July 2025** in *Criminal Appeal No. 3177/2025 (Sukdeb Saha v. State of Andhra Pradesh & Others)*, and in furtherance of the constitutional mandate under Articles **14, 21 and 21-A** of the Constitution of India, read with the objectives of the **National Education Policy, 2020**, the Lal Bahadur Shastri Health Sciences & Technical Council (LBSHSTC) hereby issues the following **mandatory directions** for strict compliance by **all affiliated colleges, institutions, training centres and study centres** under its jurisdiction.

This Order shall be read as a **Council-level implementation directive**, enforceable with immediate effect, and shall remain operative until superseded by any statutory notification issued by the competent Government authority.

1. Mandatory Institutional Mental Health Policy

Every affiliated institution shall adopt and notify a written **Student Mental Health & Well-Being Policy**, aligned with the Hon'ble Supreme Court guidelines dated 25 July 2025, covering prevention, early identification, intervention and post-crisis support mechanisms.

2. Appointment of Mental Health Support System

Institutions having **100 or more enrolled students** shall either appoint a qualified **Counsellor / Psychologist** or establish a formal referral linkage with a Government-recognised mental health professional or facility.

3. Student Counselling & Support Cells

Each institution shall constitute a **Student Counselling & Well-Being Cell**, with clearly notified contact details, office hours and escalation protocol.

4. Sensitisation of Faculty & Staff

All teaching and non-teaching staff shall undergo **periodic sensitisation and orientation programmes** on student mental health, stress indicators, psychological first aid and referral procedures.

5. Confidential Grievance Redressal Mechanism

A **confidential and student-friendly grievance redressal system** shall be operational, ensuring anonymity, protection against victimisation and time-bound resolution.

6. Anti-Harassment & Anti-Discrimination Assurance

Institutions shall ensure zero tolerance towards **academic harassment, discrimination, bullying or coercive practices**, and shall integrate mental-health-sensitive academic and evaluation practices.

7. Crisis Response & Emergency Protocol

Each institution shall maintain a documented **Crisis Response Protocol**, including emergency contacts, local hospital tie-ups and immediate intervention procedures.

8. Display of Mental Health Helpline Information

National and State mental health helpline numbers, including **Tele-MANAS (14416 / 1-800-891-4416)** or any updated Government helpline, shall be prominently displayed on institutional notice boards and websites.

9. Student Orientation & Awareness

Mental health awareness sessions shall be conducted during **student induction programmes** and at least once every academic year.

10. Record Maintenance & Reporting

Institutions shall maintain proper records of counselling sessions, awareness programmes and grievance redressal actions, ensuring confidentiality and data protection.

11. Periodic Compliance Certification

All affiliated institutions shall submit an **Annual Compliance Certificate** to LBSHSTC confirming implementation of this Order and the Hon'ble Supreme Court guidelines.

12. Inspection & Audit

LBSHSTC reserves the right to conduct **compliance audits, inspections or document verification** relating to mental health and student welfare measures.

13. Consequences of Non-Compliance

Non-compliance with this Order shall be treated as a **serious violation of affiliation conditions**, attracting appropriate action including warning, suspension of admissions, or withdrawal of affiliation, as per Council regulations.

14. Overriding Effect

This Order shall have **overriding effect** over any inconsistent institutional practice, rule or internal guideline.

15. Effective Date

This Order shall come into force **with immediate effect** and shall be binding on all concerned.

(Abhishek Giri)
Secretary, LBSHSTC
Ph: 0121-4349311

Copy to:

1. All State / District / Regional Offices
2. All Affiliated Institutions & Training Centres
3. Examination, Affiliation, Legal & Academic Divisions
4. Office Records

Copy to: (for information)

1. **Deputy Secretary,**
   Ministry of Education (Department of School Education & Literacy),
   Government of India, New Delhi.
2. **Under Secretary**,
   Ministry of Health & Family Welfare (AHS Division),
   Government of India.
3. **Joint Secretary**,
   Ministry of Skill Development & Entrepreneurship,
   Government of India, New Delhi.
4. **Additional Chief Secretary / Principal Secretary**,
   Department of **Higher Education / Skill Development / Health**,
   Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

F.N. K-1101/08/2025/LBSHSTC/0290
Lal Bahadur Shastri Health Sciences and Technical Council
(Formerly: Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council)
Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council
Member: National Allied and Healthcare Professional Association
Ph: 0121-4349311

Dated: 21/11/2025

अधिसूचना

सेवा में,

सभी प्राचार्यगण / प्रमुख / निदेशकगण
लाल बहादुर शास्त्री हेल्थ साइंसेज़ एवं टेक्निकल काउंसिल के
अधिकार-क्षेत्र में संबद्ध समस्त संस्थान

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा आपराधिक अपील संख्या 3177/2025 (सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 25 जुलाई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में— सभी संबद्ध संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण एवं आत्महत्या-निवारण हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश लागू किए जाने बाबत।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा आपराधिक **अपील संख्या 3177/2025 (सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 25 जुलाई 2025** को पारित निर्णय एवं बाध्यकारी निर्देशों के अनुपालन में, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 एवं 21-क के अंतर्गत निहित संवैधानिक दायित्वों एवं **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के उद्देश्यों के अनुरूप, **लाल बहादुर शास्त्री हेल्थ साइंसेज़ एवं टेक्निकल काउंसिल** द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध समस्त महाविद्यालयों, संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों एवं अध्ययन केंद्रों हेतु निम्नलिखित अनिवार्य निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

यह आदेश परिषद् स्तर पर जारी एक कार्यान्वयनात्मक निर्देश के रूप में पढ़ा एवं माना जाएगा, जो तत्काल प्रभाव से प्रवर्तनीय होगा, तथा सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किसी वैधानिक अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

1. अनिवार्य संस्थागत मानसिक स्वास्थ्य नीति

प्रत्येक संबद्ध संस्थान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित एक लिखित नीति को अंगीकार कर

उसे अधिसूचित करेगा, जिसमें रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप तथा संकट-उपरांत सहयोग तंत्र का स्पष्ट प्रावधान होगा।

2. मानसिक स्वास्थ्य सहयोग प्रणाली की नियुक्ति

100 या उससे अधिक नामांकित विद्यार्थियों वाले प्रत्येक संस्थान द्वारा एक योग्य काउंसलर/मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जाएगी अथवा किसी सरकार-मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या संस्थान के साथ औपचारिक रेफरल व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

3. छात्र परामर्श एवं कल्याण प्रकोष्ठ

प्रत्येक संस्थान द्वारा एक छात्र परामर्श एवं कल्याण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसके संपर्क विवरण, कार्यालय समय एवं शिकायत-उत्क्रमण (एस्केलेशन) प्रक्रिया को विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

4. संकाय एवं कर्मचारियों का संवेदनशीलकरण

सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव के संकेतों, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता तथा रेफरल प्रक्रियाओं से संबंधित आवधिक संवेदनशीलकरण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

5. गोपनीय शिकायत निवारण तंत्र

एक गोपनीय, विद्यार्थी-अनुकूल शिकायत निवारण प्रणाली संचालित की जाएगी, जिसमें पहचान की गोपनीयता, प्रतिशोध से संरक्षण तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

6. उत्पीड़न एवं भेदभाव-निरोधी आश्वासन

संस्थान शैक्षणिक उत्पीड़न, भेदभाव, बुलिंग अथवा किसी भी प्रकार की दबावपूर्ण प्रथाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करेंगे तथा मानसिक स्वास्थ्य-संवेदनशील शैक्षणिक एवं मूल्यांकन पद्धतियों को अपनाएंगे।

7. संकट प्रतिक्रिया एवं आपातकालीन प्रोटोकॉल

प्रत्येक संस्थान द्वारा एक प्रलेखित संकट प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल तैयार एवं संधारित किया जाएगा, जिसमें आपातकालीन संपर्क सूत्र, निकटवर्ती अस्पतालों से समन्वय तथा तत्काल हस्तक्षेप की प्रक्रियाएँ सम्मिलित होंगी।

8. मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन जानकारी का प्रदर्शन

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर, जिनमें टेली-मानस (14416 / 1-800-891-

4416) अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अद्यतन हेल्पलाइन शामिल होंगी, संस्थान के सूचना-पटों एवं वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

9. छात्र उन्मुखीकरण एवं जागरूकता

छात्र प्रवेश (इंडक्शन) कार्यक्रमों के दौरान तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।

10. अभिलेख संधारण एवं प्रतिवेदन

संस्थान परामर्श सत्रों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं शिकायत निवारण कार्यवाहियों से संबंधित उचित अभिलेखों का संधारण करेंगे, साथ ही गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

11. आवधिक अनुपालन प्रमाणन

सभी संबद्ध संस्थान इस आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की पुष्टि करते हुए एलबीएसएचएसटीसी को वार्षिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

12. निरीक्षण एवं ऑडिट

एलबीएसएचएसटीसी मानसिक स्वास्थ्य एवं छात्र कल्याण उपायों से संबंधित अनुपालन ऑडिट, निरीक्षण अथवा दस्तावेज़ सत्यापन कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. अनुपालन न होने के परिणाम

इस आदेश का अनुपालन न किया जाना संबद्धता की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप परिषद् विनियमों के अनुसार चेतावनी, प्रवेश निलंबन अथवा संबद्धता निरस्तीकरण जैसी उचित कार्यवाही की जा सकती है।

14. प्रधानता प्रभाव

यह आदेश किसी भी असंगत संस्थागत प्रथा, नियम अथवा आंतरिक दिशा-निर्देश पर प्रधानता रखेगा।

15. प्रभावी तिथि

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा संबंधित सभी पर बाध्यकारी होगा।

A.Giri

(अभिषेक गिरि)

सचिव, लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद

प्रतिलिपि सूचनार्थ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सभी राज्य / जिला / क्षेत्रीय कार्यालय
2. सभी संबद्ध संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र
3. परीक्षा, संबद्धता, विधिक (लीगल) एवं शैक्षणिक प्रभाग
4. कार्यालय अभिलेख

प्रतिलिपि : (सूचनार्थ)

1. **उप सचिव,**
   शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग),
   भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. **अवर सचिव,**
   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (AHS प्रभाग),
   भारत सरकार।

3. **संयुक्त सचिव,**
   कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली।

4. **अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,**
   उच्च शिक्षा / कौशल विकास / स्वास्थ्य विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।